भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3416
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2022 की समीक्षा

3416. डॉ. मल्लू रवि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति, रोगों के बदलते स्वरूप तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक औषधियों की मॉडल सूची में किए गए संशोधनों के दृष्टिगत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, 2022 की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के संशोधन में हुई देरी का नई आवश्यक औषधियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ रोगों तथा गैर-संचारी रोगों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, वहनीयता, और मूल्य विनियमन पर पड़े प्रभाव तथा तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में उनकी पहुँच का आकलन किया है, यदि हाँ, तो जिला-बार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के आवधिक संशोधन को संस्थागत स्वरूप देने तथा इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को अतिरिक्त आवश्यक औषधियों को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल किए जाने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों, जन-स्वास्थ्य संस्थानों तथा रोगी समूहों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के अगले संशोधन की समय-सीमा क्या है तथा विशेषकर तेलंगाना के

नागरकुरनूल जिले सहित कम सुविधा वाले जिलों में आवश्यक औषधियों तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्थायी राष्ट्रीय औषध समिति (एसएनसीएम) द्वारा विभिन्न विषयों और हितधारकों के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके व्यापक समीक्षा के बाद, सरकार द्वारा आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2022 को अधिसूचित किया गया था। इस संशोधन में देश के रोग भार, जन स्वास्थ्य प्राथमिकताओं, सुरक्षा, प्रभावकारिता, लागत-प्रभावशीलता, आम जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता में चिकित्सीय उत्पादों के उपयोग के समकालीन ज्ञान, दवाओं के विभिन्न दस्तावेजों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मॉडल सूची सहित दवाओं की उपलब्धता को ध्यान में रखा गया, जिसके लिए एक स्थापित विशेषज्ञ परामर्श तंत्र का उपयोग

किया गया। एनएलईएम, 2022 में 384 दवाएं शामिल हैं, जिनमें 34 नई दवाएं जोड़ी गई हैं और पिछली सूची से 26 दवाओं को हटा दिया गया है।

एनएलईएम में संशोधन सरकार द्वारा स्थापित विशेषज्ञ परामर्श तंत्र के माध्यम से किया जाता है। ऐसे संशोधन के दौरान, सभी चिकित्सीय श्रेणियों की दवाओं पर निर्धारित मानदंडों और उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विचार किया जाता है। इनमें दवा की मंजूरी की स्थिति, देश में प्रतिबंधित दवाओं की स्थिति, दवा से जुड़ी सुरक्षा और उसकी प्रभावकारिता प्रोफ़ाइल, रोगाणुरोधी प्रतिरोध का पैटर्न, रोग भार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सूचीबद्ध दवाएं, वहनीयता, पहुंच, लागत-प्रभावशीलता, बेहतर विकल्प, चिकित्सीय प्रगति, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन शामिल हैं, जिन पर संबंधित विशेषज्ञ समूह की बैठकों में चर्चा की जाती है।

एनएलईएम में शामिल दवाओं को औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा मूल्य विनियमन के अंतर्गत लाया जाता है, जिससे उनकी वहनीयता में सुधार होता है।

सरकार का उद्देश्य औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत एनएलईएम में शामिल दवाओं के मूल्य विनियमन और भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत किफ़ायती जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देकर नागरकुर्नूल जैसे जिलों सहित पूरे देश में आवश्यक दवाओं की पहुंच में सुधार करना है। इस योजना के अंतर्गत, नागरिकों को 50% से 80% तक कम दरों पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना के नागरकुर्नूल जिले सहित पूरे देश में विशेष आउटलेट नामतः जन औषधि केंद्र (जेएके), खोले गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, तेलंगाना के विभिन्न जिलों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में रखे गए प्रस्तावों के आधार पर समग्र संसाधन दायरे में उनकी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में निःशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए सहायता भी शामिल है। निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत, मंत्रालय ने देश भर के जन स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाकेंद्र-वार आवश्यक औषधि सूची (ईडीएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है।
